119

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA 20रु. Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प सागर म०प्र०

निग -2531-I-16

1- चन्द्रभानसिंह | तनय रघुवीरसिंह
2- वृजभानसिंह |

3- राजकुमारसिंह | तनय किशनसिंह
4- महलादसिंह |

चारों निवासी ग्राम होंगटी तहसील बीना
जिला सागर म०प्र० --- पुनरीक्षणकर्तागण

विरुद्ध

सुनील तनय कृष्ण कुमार जैन
निवासी मढ़िया वार्ड बीना तहसील बीना
जिला सागर म०प्र० --- प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर सागर के राज०पुनरीक्षण प्रक०क्रमांक 073-70, वर्ष 2010-011 मौजा होंगटी बीना पक्षकार चन्द्रभानसिंह एवं अन्य विरुद्ध सुनील जैन आदेश दिनांक 18-04-2016 से दुखित होकर अन्य आधारों सहित निम्नलिखित आधारों सहित निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करते हैं :-

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

करण क्रमांक :—निगरानी—2531—एक / 2016 जिला—सागर

चन्द्रभान सिंह आदि विरूद्ध सुनील जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—सागर के प्रकरण क्रमांक 07 / अ—70 / 2010—11 में पारित आदेश दिनांक 18—04—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 30—10—2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	